

कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग अधिसूचना
भूमि -अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013

धारा -11

क्रमांक /

/भू-अर्जन/प्र.क्र. 02/अ-82/15-16

जबलपुर, दिनांक .12.2015

चूंकि राज्य शासन को इस यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि बोरलॉग इंस्टीट्यूट लखनवारा का मार्ग पूर्व से प्रचलित है तथा मार्ग चौड़ीकरण हेतु ग्राम सोनपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
जिला	तहसील	ग्राम	0.030	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर	बीज केन्द्र बोरलॉग इंस्टीट्यूट लखनवारा पिपरिया से सोनपुर मार्ग चौड़ीकरण
जबलपुर	पनागर	सोनपुर			

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सी

(एस.एन.रूपला)

कलेक्टर जिला जबलपुर

एवं पदेन उपसचिव

म0प्र0शासन राजस्व विभाग

पृष्ठा. क्रमांक / 1339 / भू-अर्जन / 1.5.16
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक 30.12.2015

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र. भोपाल को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में प्रकाशनार्थ ।
2. संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग गोलबाजार जबलपुर की ओर दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
3. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1 जबलपुर को भू-अर्जन अधिनियम प्रारूप 11 की अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन हेतु ।
4. जिला सूचना अधिकारी जबलपुर (कलेक्टर एन.आई.सी.कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अवलोड करने हेतु ।
5. कार्यालय कलेक्टर/जिला पंचायत जबलपुर के सूचना पटल पर चस्पा प्रकाशन हेतु ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय तहसील जबलपुर के सूचना पटल पर चस्पा प्रकाशन हेतु ।
7. तहसीलदार, पनागर को सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा प्रकाशन कर एक प्रति वापस करें ।
8. सरपंच ग्राम खोनपुर की ओर प्रकाशनार्थ एवं आमागी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें ।

(~~एस.एन.रूपला~~)
कलेक्टर जिला जबलपुर
एवं पदेन उपसचिव
म0प्र0शासन राजस्व विभाग